...य उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

वाद संख्या 93/08	धारा अंतर्गत 88,53,188 RTA	निर्णय दिनांक 14/05/2022
समक्ष - श्री दिवेश शर्मा, उपखण्ड अधिकारी, बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री बृजराज किशोर शर्मा		अभिभाषक प्रतिवादी श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी

वाद शीर्षक

घांसीलाल पुत्र गोपीलाल जाति माली साकिन पाटड़ा तह० बारां

बनाम

1. श्रीमति जानकीबाई बेवा रामनारायण जाति माली निवासी पाटड़ा तह० बारां
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम पाटड़ा तहसील बारां का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

नाम काश्तकार	ख०नं०	रकबा	हिस्सा
1. घांसीलाल पुत्र गोपीलाल जाति माली निवासी पाटड़ा	06	0.39	पश्चिम
	12	0.12	—
	11	1.08	—
	किता-3	1.59	
2. जानकीबाई बेवा रामनारायण जाति माली निवासी पाटड़ा	05	0.12	
	06	0.27	पूर्व
	11	1.20	
	किता-3	1.59	

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाने हेतु तहसीलदार बारां को निर्देशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 14/05/2022 को निर्गत किया गया।

अध्यक्ष

सदस्य

हस्ताक्षर

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:46:00 IST
Reason: SelfAttested

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र /लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		
	योग		

Scanned with CamScanner

निर्णय बइजलास श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस
उप खण्ड अधिकारी बारां सम्स जिला बारां द्वारा उद्घोषित

प्रकरण सं. 93/08 दावा
दायरा दिनांक :- 25.7.08
निर्णय दिनांक :- 31.3.22

उनवान

घांसीलाल पुत्र गोपीलाल जाति माली निवासी पाटेडा तह. बारां

बनाम

1. श्रीमती जानकीबाई बेवा रामनारायण जाति माली नि. नारेडा तह. बारां
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

वाद पत्र धारा 88,53,188 RTA
निर्णय दिनांक :- 31.3.22

उपस्थित अभिभाषक :- 1- श्री ब्रजराजकिशोर शर्मा - वादी
2. श्री हरिओम चतुर्वेदी - प्रति.

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53, 188 RTA विरुद्ध प्रति वादी के न्याया. में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम नारेडा तह. बारां की आराजी ख.नं. 5 रकबा 0.12 हे., ख.नं. 6 रकबा 0.66 हे., ख.नं. 11 रकबा 2.28 हे., ख.नं. 12 रकबा 0.12 हे. कुल किता 4 रकबा 3.18 हे. स्थित है। उक्त वर्णित आराजी वर्तमान रिकार्ड ऑफ राइट्स मे प्रतिवादी नं. 1 के खातेदारी मे अंकित है आराजी विवाद जमा मूलत: मु. मांगीबाई बेवा गोपीलाल के खातेदारी की है मु. मांगीबाई मुज्ज वादी की मां है जिसका देहान्त हो चुका है मांगीबाई की खातेदारी मे दर्ज आराजी का साबिक ख.नं. 4 रकबा 4.15 बीघा, ख.नं. 7 रकबा 16.07 बीघा कुल 21.02 बीघा स्थित थी। मांगीबाई पत्नी गोपीलाल के वारिसान रामनारायण व घांसीलाल है रामनारायण के जानकीबाई बेवा थी। मांगीबाई की मृत्यु पर उक्त वर्णित आराजी रामनारायण के नाम विरासत के रूप मे अंकित हो गई क्योंकि वक्त मृत्यु मांगीबाई वादी की उम्र 3-4 माह की वादी नाबालिग था इस कारण [illegible] आराजी रामनारायण बडे पुत्र के नाम खातेदारी में अं[illegible] है व रामनारायण की मृत्यु के बाद उक्त आराजी [illegible] जानकी नामा. के दर्ज कर दी लेकिन वादी उक्त [illegible] नहीं था। चूंकि मांगीबाई वादी की मां थी अत: उक्त आराजीयात मे [illegible] का 1/2 हिस्सा खातेदारी निहित है

लगातार - 2

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:46:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जो उसे बाद इनके मांगीबाई विरासत में मिली है व इसी प्रकार आराजीयात पर काबिज चले आ रहे है। उक्त विवादित आराजीयात के बाबत प्राई वादिया क्र.1 ने एक प्रकरण सं. 170/80 व 6/81 अन्तर्गत धारा 88, 90, 188 RTA इस आशय का वादी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु पेश किया कि वह वादनी के हक में हस्तक्षेप न करे। वादी ने उक्त प्रकरण में भी सही जवाब पेश किया कि उक्त वर्णित आराजी मुस. मांगीबाई (माता) के खातेदारी की है व वादी का इसमें 1/2 हिस्सा है जिसकी घोषणा की जावे। वादी ने भी एक वाद उक्त वर्णित विवादित आराजी के बाबत पेश किया प्रकरण नं. 6/81 है इसमें अंकित किया कि उक्त विवादित आराजीयात मांगीबाई (माता) के खातेदारी की है मांगीबाई का देहान्त हो चुका है तथा इन आराजियात में वादी का 1/2 हक खातेदारी निहित है इसकी घोषणा की जावे उक्त दोनों प्रकरण क्रमांक 170/80 व 6/81 को कंसोलिडेट करके विवादित आराजीयात से संबंधित उक्त दोनों प्रकरणों में दिनांक 30-1-82 को फैसला डिक्री जारी फरमाई गयी। फैसला व डिक्री दिनांक 30-1-82 के द्वारा इन विवादित आराजीयात में वादी का 1/2 हिस्सा खातेदारी करार दिया तथा वादी के हक हिस्से में आराजी ख.नं. 4 (साबिक) का 1/2 भाग पूर्वी व ख.नं. 7 (साबिक) का 1/2 भाग पूर्वी पर वादी का हक खातेदारी करार दिया व वादी के खातेदारी में तनहा रूप में दर्ज करने का आदेश दिया, शेष रकबा आराजी ख.नं. 4 व 7 पर प्राई वादी क्र.1 का हक खातेदारी कर दिया व प्राई वादी क्र.1 के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया गया तथा दोनों पक्षकारों को आदेश दिया कि वे एक दूसरे के कब्जे में दखल न दे। फैसला दिनांक 30-1-82 बाबत विवादित आराजी अंतिम निर्णायक है जो कबूल है व पक्षकार उक्त फैसले से पाबन्द है तथा पक्षकारों के हकूक पर रेसज्यूडिकेटा का प्रभाव रखते है। वादी दिनांक 30.1.82 से ही निरन्तर आज तक उक्त डिक्री के निर्देशानुसार व पालना में आराजी ख.नं. 4 व 7 (साबिक) के पूर्वी हिस्से पर काबिज चला आ रहा है। इन आराजीयात व रकबा जिस पर वादी का हक खातेदारी करार दिया उनका वर्तमान ख.नं. 12 रकबा 0.12 हे. ख.नं. 11 रकबा 1.08 हे., ख.नं. 6 रकबा 0.39 हे. पूर्वी इस तरह वादी निरन्तर 30.1.82 से आज तक उक्त डिक्री की पालना के निर्देशानुसार आराजी ख.नं. 4 व 7 का 1/2, 1/2 हिस्सा पूर्वी जिसका वर्तमान विवादित आराजी ख.नं. 12 रकबा 0.12 हे. ख.नं. 6 रकबा 0.39 हे. पूर्वी एवं ख.नं. 11 रकबा 1.08 हे. पर तनहा खातेदार काबिज व काश्त [illegible] है, वादी गरीब व अनपढ है इस कारण डिक्री के अनुसार [illegible] अलग - अलग काश्त करते चले आ रहे है लेकिन अधिकारियों [illegible] डिक्री को अमल राजस्व रिकार्ड मे नहीं करा सके व प्राई वादी क्र.1 का [illegible] तमाम आराजीयात पर बगैर खातेदार काबिज चला आ रहा है मौके पर कब्जा काश्त अलग - अलग है व वादी

लगातार - 3

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:46:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आराजी ख.नं. 4 व 7 पूर्व भाग पर काबिज चला आ रहा है विवादित आराजी चूंकि रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम अंकित रह गया है इस कारण कास्त व्यवस्था में असुविधा होती है लगान अदा करने में परेशानी होती है व प्रार्थीया उक्त। मुझ वादी को इन आराजीयात की कास्त से बेदखल करने की धमकी देती है वादी ने प्रार्थीया से डिक्री दिनांक 31.1.1982 का अंकन राजस्व रिकार्ड में कराने हेतु व सहयोग देने हेतु कहा लेकिन प्रार्थीया के मन में बेईमानी है इस कारण सहयोग नहीं दे रहे है काफी बाद दिनांक 17-7-2008 को भी निवेदन किया लेकिन प्रार्थीया उक्त। इन्कार कर दी। वादी उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर व डिक्री तारीख 31.1.82. के आधार पर आराजी विवादग्रस्त में 1/2 हिस्से खातेदार निहित है तथा आराजी ख.नं. 12 रकबा 0.12 हे. ख.नं. 11 रकबा 1.08 हे. ख.नं. 6 रकबा 0.39 हे. पूर्व का तरह खातेदार काश्तकार है कब्जा बदस्तूर है व वादी उस हक खातेदारी की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत करता है। दावा करने का कारण दिनांक 17-7-2008 को वादी द्वारा प्रतिवादी उक्त। से अनुरोध करने पर भी कि वह डिक्री दिनांक 30-1-82 का अमल रिकार्ड ऑफ राइट्स में कराने हेतु सहयोग करे लेकिन प्रतिवादी द्वारा सहयोग न करने पर उत्पन्न हुआ वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी उक्त। की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर पेश हुआ। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम गोलेडा सम्वत 2063-66, नकल जमाबंदी ग्राम पाटडा सम्वत 2064-67, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम पाटडा, नकल खिलात क्षेत्रफल ग्राम पाटडा सम्वत 2038-57, नकल खतौनी बंदोबस्त सम्वत 2015-24, नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 30.1.82 मु.नं. 170/80 व 6/81 धारा 188, 88, 90 RTA उनवान जानकी बेवा रामनारायण बनाम धांसीलाल पुत्र गोपी, नारायण पुत्र नाथु, पेश की गई। साक्ष्य वादी में धांसीलाल, PW2 भरतलाल के बयान कराये गये। प्रतिवादी की ओर से नकल निर्णय दिनांक 31.8.74 मु.नं. 81/74 जन्पत्र धारा 212 RTA उनवान धांसीलाल जानकीबाई बनाम धांसीलाल पेश की गई। साक्ष्य प्रतिवादी DW1 जानकीबाई के बयान कराये गये। वादी द्वारा रसीद कर्ता 12 पेश की गई को धांसीलाल द्वारा लगान (कर्ता) जमा कराया गया।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम के आधार पर निम्न तनकीह कायम की गई।

तनकीह नं.1 आया कि विवादित आराजी [illegible] मांगीबाई बेवा गोपीलाल व प्रार्थी माली [illegible] मुताबिक पैरा नं. 3 वाद पत्र वादी के खातेदारी की [illegible] वादी वाद पत्र है।

तनकीह नं.2 आया विवादित आराजी मांगीबाई की हक्क अराज रामनारायण (बेवा पुत्र

लगातार - 5

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:46:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मांगीबाई वगै० के नाम विरासत के तौर पर अंकित कर दी क्योंकि उक्त समय वादी नाबालिग था तथा रामनारायण की मृत्यु उपरान्त भाई वादी का, के नाम कोई नामान्तरण दर्ज कर दी। वादी

तनकी नं. 3 मांगीबाई चूंकि वादी की मां थी उक्त विवादित आराजी में वादी का 1/2 हक खातेदारी निहित है जो मांगीबाई की मृत्यु पर उसे विरासत से प्राप्त हुआ है इसी अनुसार काबिज चले आ रहे है। वादी

तनकी 4 आया वाद पत्र की मद नं. 7,8,9,10 के ~~अनुसार~~ अनुसार विवादित आराजीयात के बाबत पक्षकारान के मध्य प्रकरण नं.-170/80, 6/87 विचाराधीन रहे जिनका फैसला व डिक्री 30-1-82 को हुआ व विवादित आराजीयात मे वादी का 1/2 हिस्सा करार दिया व वादी के हक हिस्से में ख.नं. तादादी का 1/2 भाग पूर्व ख.नं. 7 तादादी 1/2 भाग पूर्व पर हक खातेदारी का दर्ज करार दिया व वादी के तकमील खातेदारी मे दर्ज करने का आदेश दिया शेष रकबा प्रतिवादी के नाम दर्ज करने का आदेश दिया। वादी

तनकी 5 - आया कि फैसला 30-1-82 पक्षकारान के मध्य अंतिम फैसला है तथा पक्षकारान उसके पाबन्द है तथा फैसला रेसजुडिकेटा का असर रखता है प्रति०

तनकी 6 - आया आराजीयात व रकबा जिन पर वादी का हक खातेदारी करार दी व डिक्री प्रदान की उनका वर्तमान रकबा क्रमशः ख.नं. 12 रकबा 0.12 हे. ख. नं. 11 रकबा 1.08 हे., ख.नं. 6 रकबा 0.39 हे. पूर्व है जिन पर वादी सन् 82 से काबिज है व इसी अनुसार आदेश हक खातेदारी की घोषणा कराने का अधिकारी है एवं अपना 1/2 हिस्सा बंटवारा कराने का अधिकारी है वादी

तनकी नं. 7 आया ग्राम गाजेडा तह० बारां के ख.नं. 732/752 रकबा 3.65 हे. व ~~[illegible]~~ ख.नं. 289 रकबा 0.31 हे. ख०नं. 300 रकबा 0.20 हे. प्रतिवादी के ससुर व वादी के पिता के पूर्वजों की पैतृक सम्पत्ति है जो वादी के नाम दर्ज है प्रति०

तनकी-8 — आया प्रतिवादी की आराजी विवादित वर्णित मद नं. प्रतिवाद पत्र मे 1/2 हक हिस्से की खातेदारी की घोषणा कराने का हकदार है प्रति०

तनकी-9 - अनुतोष

बहस अभिभाषक आम पक्षकारान सुनी गयी बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी [illegible] वादी के खाते दर्ज है उक्त आराजी की मूल खातेदार मांगीबाई वादी [illegible] फैसला देहान्त हो चुका है जमाबंदी सम्वत् 2015-24 मे तादादी आराजी [illegible] खातेदार थी मांगीबाई की मृत्यु पर, विवादित आराजी रामनारायण के नाम विरासत के तौर मे अंकित हो गयी क्योंकि मांगीबाई की मृत्यु के समय वादी की उम्र [illegible] वादी नाबालिग था इसलिए -

लगातार 5

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:46:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रामनारायण के खाते दर्ज कर दी गोंगीबाई वादी की मां थी इसलिए उक्त आराजी के 1/2 हिस्सा खातेदारी मिलते है तथा वह काबिज चला आ रहा है विवादित आराजी के कुछ में प्रार्थी वादी। ने प्रकरण नं 170/80 व 6/81 अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 RTA पेश किया था वादी ने उक्त प्रकरण में भी यही जवाब दिया था। उक्त दोनों वाद कन्सोलीडेट कर निर्णय 30.1.82 द्वारा इस आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा खातेदारी करार दिया तथा वादी के हक हिस्से में आराजी ख. नं. 4 का 1/2 भाग पूर्वी व ख. नं. 7 का 1/2 भाग पूर्वी पर वादी को खातेदार करार दिया शेष आराजी प्रार्थी वादी की रहेगी। फैसला दिनांक 30.1.82 अन्तिम फैसला है उक्त निर्णय रेस ज्यूडिकेटा का असर रखता है वादी निर्णय दिनांक 30.1.82 अनुसार काबिज है लेकिन अज्ञानता वश उस डिक्री का अमल राजस्व रिकार्ड में नहीं करा सके और प्रार्थी वादी कुछ। का नाम समस्त आराजी पर गलत खातेदार चला आ रहा है वादी का 1/2 हिस्सा पर काबिज है 31.1.82 के आधार पर विवादित आराजी में 1/2 हिस्से खातेदारी मिलते है वही कायम खातेदारी की घोषणा कराने का अधिकारी है। जवाब में विद्वान वकील प्रार्थी वादी ने कथन किया कि विवादित आराजी उक्त पाटड़ा की प्रार्थी वादी की सास गोंगीबाई के खाते थी मृत्यु उपरान्त गोपीलाल ने अपने पुत्र व प्रार्थी वादी के पति रामनारायण को उसके हक व हिस्से में देकर उक्त रामनारायण के खाते दर्ज कराई थी। रामनारायण की मृत्यु के बाद उक्त पाटड़ा की आराजी प्रार्थी वादी के नाम नामान्तरण नं. से दर्ज हुई

बहस के दौरान वकील प्रार्थी वादी द्वारा काउन्टर फैसला के अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी वादी का कथन है कि विवादित आराजी प्रार्थी वादिया के खातेदारी में दर्ज है गोंगीबाई की मृत्यु के बाद गोपीलाल ने अपने पुत्र व प्रार्थी वादिया के पति रामनारायण को उनके हक व हिस्से में देकर उक्त रामनारायण के खाते दर्ज करा दी थी रामनारायण ता उम्र बहैसियत खातेदार काश्त करता रहा रामनारायण की मृत्यु के बाद उक्त पाटड़ा की आराजी प्रार्थी वादिया के नाम नामान्तरण इन्तकाल से दर्ज हुई प्रार्थी वादी रामनारायण की मृत्यु के बाद लगभग 35 वर्षों से काबिज काश्त चली आ रही है प्रार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत निगरानी विचाराधीन वाद नं. 170/80 तथा वादी द्वारा उक्त पाटड़ा की आराजी में अपने हक हिस्से का दावा किया जिसका वाद नं. 6/81 था उक्त दोनों दावों को कन्सोलीडेट कर वादी व प्रार्थी वादी ने उक्त पाटड़ा, जालड़ा व ओंकड़ा की समस्त आराजी में वादी व प्रार्थी वादी का समान हिस्सा मुनासिब मान समझौता पेश किया जिस पर -माना. सहायक कलक्टर बारां ने दिनांक 31.1.82 को निर्णय व डिक्री पारित की। उक्त निर्णय व डिक्री अनुसार प्रार्थी वादी ने वादी से उक्त जालड़ा व ओंकड़ा की आराजी में बराबर हिस्से अनुसार हिस्से व खाते दर्ज कराने की कहा तो वादी मुकर गया और कहा कि उसके खाते में अधिक आराजी [illegible] पाटड़ा की आराजी में कोई हिस्सा लेना नहीं चाहता है और न ही जालड़ा [illegible] की आराजी में हिस्सा देना चाहता है [illegible] प्रार्थी वादिया के कब्जे काश्त है डिक्री पूर्व व डिक्री के बाद [illegible]

लगातार - 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:46:00 IST
Reason: SelfAttested

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

एवं खातेदारी से चली आ रही है प्रार्थी वादिया हकदार रही है अतः उसने वादी को पुत्री को केवल तहसीलदार अधिकारी नहीं बनाया इसी कारण से तहसीलदार ने प्रार्थी वादिया की आराजी एवं विवादित करने हेतु विधवा एवं जनानी आधार पर यह वाद पेश किया है उक्त कालेड़ा एवं आकेड़ा की कुल आराजी 4.16 हे. प्रार्थी वादी का 1/2 हक हिस्से की अधिकारणी है इसलिए उक्त आराजी के 1/2 हिस्से की आराजी की खातेदार पृथक होने की घोषणा कराने की अधिकारणी है। तथा अपने हिस्से की 1/2 आराजी को पृथक खाते दर्ज कराने की अधिकारणी है प्रार्थी वादिया अपने हिस्से की आराजी पर वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की भी अधिकारणी है विवादित आराजी बाबत पूर्व में दिनांक 30.1.82 को निर्णय हो चुका है इसी वाद कारणों पर पुनः उक्त दावा रेसज्यूडिकेटा का असर रखता है वकील प्रार्थी वादी ने [illegible] AIR (SC) 1980, AIR (SC) 346, [illegible] पेश की गयी कथन किया कि [illegible] डिक्री के [illegible] की गयी उच्च न्यायालयों का अभिमत रहा कि पक्षकार के मध्य पारित सहमति डिक्री का असर आगे होगा जो कि प्रार्थी वाद किये गये मामलों में - पारित डिक्री व निर्णय का होता है तथा धारा 11 CPC समान वाद कारण व दूसरा निर्णय अनुच्छेद नहीं है उक्त अनुसार पूर्व निर्णय 30.1.82 इस वाद पर मान. न्याया. उ. प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी कोटा द्वारा रेसज्यूडीकेटा का असर नहीं होना बताया है मान. न्याया. द्वारा AIR 1986 गुजरात पेज 55 और AIR 1982 कलकत्ता पेज 288 न्यायिक दृष्टांत के [illegible] निर्णय पारित करते वक्त दिशा निर्देश दिये गये है

वरिष्ठ अधिभाषक [illegible] पक्षकारान सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया वादी के वाद का तनकी वार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है:-

तनकी नं. 1 इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबन्दी प्रदर्श 2 के अनुसार विवादित आराजी मांगीबाई के खातेदारी की थी तथा उक्त आराजी के सम्पूर्ण रकबा भी मांगीबाई के खातेदारी में रही है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी वादी की माता के खातेदारी है अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है

तनकी नं. 2,3 इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। नकल जमाबन्दी ग्राम कालेड़ा सम्वत 2063-66 खाता नं. 54 घासी पुत्र गोपीलाल जाति माली सा. [illegible] के खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम आकेड़ा सम्वत 2062-65 खाता सं. 61 वादी घासीलाल पुत्र गोपीलाल के खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम पाटेड़ा सम्वत [illegible]67 खाता सं. 106 जानकीबाई बेवा रामनारायण के नाम [illegible] नकल जमाबन्दी ग्राम पाटेड़ा सम्वत 2015-24 में [illegible] का नाम दर्ज रिकार्ड है नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 30.1.82 के अनुसार वादी एवं प्रार्थी वादी को 1/2-1/2 का खातेदार पृथक घोषित किया गया। इससे यह साबित होता

लगातार 7

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:46:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

है कि प्रार्थी वादिया का। द्वारा उक्त खाते की आराजी को लेकर वाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका निर्णय 30.1.82 को पारित किया गया उक्त निर्णय व डिक्री के अधीन काश्तकार व प्रार्थी वादी मांगीलाल को ½, ½ का खातेदार कृषक घोषित किया गया था। उक्त निर्णय की पालना नहीं करवाई गई तथा विवादित आराजी वर्तमान में जानकीलाल केसरीलाल रामनारायण के खातेदारी में चली आ रही है, उक्त निर्णय को लगभग 40 वर्ष हो गये है परन्तु उसके लगभग पालि की 12 वर्ष मियाद गुजरने के बाद वादी मांगीलाल द्वारा उक्त दावा पेश किया गया है क्योंकि उक्त निर्णय की पालना नहीं हुई थी। यदि उक्त निर्णय की पालना हो जाती तो वादी द्वारा वाद पत्र नहीं लाता। इसलिए उक्त तनकीह वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

<u>तनकीह नं. 4</u> इस तनकीह को साबित करने का भार वादी पर था। उक्त निर्णय दिनांक 30.1.82 Ex4 एवं नकल डिक्री Ex5 के अनुसार विवादित आराजी बाबत वादी व प्रार्थी वादी के मध्य प्रकरण नं. 170/80 व 6/81 न्यायालय सहायक कलक्टर बारां में विचाराधीन रहे है जिनका निर्णय दिनांक 30.1.82 को समझौता के आधार पर हुआ जिसमें उक्त खाते, आकेड एवं खाते की आराजी में वादी एवं प्रार्थी वादी का ½, ½ हिस्सा की घोषणा नहीं की गयी बल्कि उक्त खाते की आराजी में हिस्सा ½, ½ प्रति का वादी एवं प्रार्थी वादी को समझौता के आधार पर खातेदार कृषक घोषित किया गया। परन्तु उक्त निर्णय की पालना वादिया कार्यवाही द्वारा नहीं करवाई गयी किन्तु अवधि विलम्ब जाने के बाद वादी मांगीलाल द्वारा उक्त दावा पेश किया है। उक्त निर्णय की पालना अब कोई आधार नहीं रखती है, अतः यह तनकीह वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

<u>तनकीह नं. 5</u> इस तनकीह को साबित करने का भार प्रार्थी वादी पर था। वर्तमान में विवादित आराजी उक्त खाते की वादी एवं प्रार्थी वादी के कब्जे काश्त में रही है परन्तु खातेदारी में प्रार्थी वादी के है तथा आकेड की आराजी एवं खाते की आराजी वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त में रही है। प्रस्तुत दस्तावेज एवं गवाह से यह साबित होता है कि वादी एवं प्रार्थी वादी के मध्य एक वाद नं. 170/80 एवं 6/81 सहायक कलक्टर बारां के न्याया. चले जिनका निर्णय दिनांक 30.1.82 से उक्त खाते की आराजी का वादी एवं प्रार्थी वादी के ½, ½ का समझौता हुआ था। उक्त समझौते अनुसार ही उक्त वाद के निर्णय [illegible] पारित किया गया था। इसी आराजी का वाद वादी मांगीलाल [illegible] क्योंकि प्रार्थी वादी द्वारा 1980 में पेश किया गया [illegible] की पालना नहीं करवाई गयी थी इसलिए वादी मांगीलाल द्वारा उक्त वाद पत्र पेश किया है। निर्णय की पालना

लगातार - 8

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:46:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

की अगाड़ी निगरानी हो जाने के कारण वादी घांसीलाल द्वारा दावा पेश किया है प्रतिवादी द्वारा नहीं क्योंकि पहले प्रतिवादी द्वारा दावा पेश किया गया उसकी पालना प्रतिवादी द्वारा नहीं करवाई इसलिए निगरानी निस्तारण के बाद पुनः वादी घांसीलाल द्वारा पेश किया है वह को रेसज्यूडिकेटा का असर नहीं रखता है अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 6 इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम पाटेडा संवत 2064-67 खाता नं. 106 के अनुसार विवादित आराजी प्रतिवादी कालिया के खातेदारी में दर्ज है पूर्व में किया गया वाद नं. 170/80 एवं 6/81 सहायक कलक्टर बारां निर्णय दिनांक 30.1.82 के अनुसार ग्राम पाटेडा की आराजी में वादी जानकीबाई एवं प्रतिवादी घांसीलाल के मध्य किये गये समझौते के अनुसार 1/2, 1/2 हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी को दर्ज करने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश के अनुसार वादी जमना 1/2 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है उक्त आदेश की [illegible] निस्तारण होने के बाद निर्णय की पालना नहीं हुई इसलिए वादी द्वारा यह वाद पेश किया है वादी जमना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 7 इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी को था प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम पालेडा संवत 2063-66 खाता नं. 54 घांसीलाल पुत्र गोपीलाल जाति मीणा एवं ग्राम आकेडा की जमाबंदी ग्राम संवत 206-65 खाता नं. 61 घांसीलाल पुत्र गोपीलाल के खातेदारी में दर्ज है प्रतिवादी द्वारा पैतृक सम्पत्ति बाबत ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे उक्त दोनों ग्रामों की भूमि पैतृक साबित हो सके। उक्त दोनों गांव की भूमि वादी घांसीलाल के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है प्रतिवादी को यह साबित करना चाहिये था कि ग्राम आकेडा व पालेडा की भूमि पैतृक है यह साबित करने में प्रतिवादी विफल रहा है अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 8 इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम आकेडा व पालेडा में वादी का नाम दर्ज रिकार्ड है प्रतिवादी द्वारा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर ग्राम पालेडा व आकेडा की भूमि में हिस्सा 1/2 प्राप्त करना चाहते है प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में एक [illegible] का गवाह पेश नहीं किया जिससे विवादित [illegible] साबित हो सके वादी के खातेदारी एवं कब्जे [illegible] वादी हिस्सा लेने का अधिकारी नहीं है प्रतिवादी द्वारा 1980 में एक वाद पेश 170/80

लगातार - 9

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:46:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

एवं 6/81 अन्तर्गत जागीरदारी बनाम घांसीलाल नामा. तहसील कलकटरान के पेश किया था। उस समय प्रार्थी वादिया को उक्त आकेड़ा व जालेड़ा की भूमि का भी हिस्सा प्राप्त करने हेतु वाद पत्र में अंकित किया जाना चाहिए था। प्रार्थी वादिया द्वारा ग्राम पोखड़ा की आराजी का भी वाद पत्र नहीं प्रस्तुत किया गया था। उस समय प्रार्थी वादिया स्वयं हिस्सा प्राप्त नहीं किया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी वादिया का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाना अपितु भी प्रार्थी वादिया उक्त दोनो गांव की भूमि को पैतृक साबित करने के विफल रहे हैं अतः यह तनकी प्रार्थी वादी के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के विवेचन से ग्राम पोखड़ा की भूमि हुकुम मांगीबाई के खातेदारी की थी मांगीबाई के दो पुत्र रामनारायण व घांसीलाल को मांगीबाई की मृत्यु के बाद ग्राम पोखड़ा की आराजी रामनारायण के खातेदारी में दर्ज की गयी वादी मांगी घांसीलाल के खातेदारी में दर्ज नहीं होने से वादी 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित करने का अधिकारी है। प्रार्थी वादिया स्वयं उक्त जालेड़ा व आकेड़ा की भूमि मांगीबाई के खातेदारी में दर्ज होने का एक भी दस्तावेजी साक्ष्य व गवाह पेश नहीं किया जिससे उक्त आकेड़ा व जालेड़ा की भूमि मांगीबाई के खातेदारी की साबित हो सके। प्रार्थी वादी यह साबित करने के विफल रहा है प्रार्थी वादी का काउन्टर क्लेम खारिज किया जावे। एवं वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी वादी का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम पोखड़ा तह० बारां की आराजी ख.नं. 5 रकबा 0.12 हे. ख.नं. 6 रकबा 0.66 हे. ख.नं. 11 रकबा 2.28 हे. ख.नं. 12 रकबा 0.12 हे. कुल किता 4 रकबा 3.18 हे. पर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है कि उक्त विवादित आराजी का पृथक पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाना जावे तदनुसार प्रारम्भिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखवाकर खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:46:00 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

प्रारम्भिक डिक्री

93/08	धारा अंतर्गत 88,53,188 RTA	निर्णय दिनांक 31.3.22
श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री कृष्णराज किशोर शर्मा		अभिभाषक प्रतिवादी श्री हरिओम चतुर्वेदी

वाद शीर्षक

घांसीलाल पुत्र गोपीलाल जाति माली साकिन पाटेडा तह॰ बारां

बनाम

1. श्रीमति जानकीबाई बेवा रामनारायण जाति माली नि॰ पाटेडा तह॰ बारां
2. राज॰ सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा प्रति वादी का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम पाटेडा तह॰ बारां की आराजी ख॰नं॰ 5 रकबा 0.12 हे॰ ख॰नं॰ 6 रकबा 0.66 हे॰ ख॰नं॰ 11 रकबा 2.28 हे॰ ख॰नं॰ 12 रकबा 0.12 हे॰ कुल किता 4 रकबा 3.18 हे॰ पर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है कि उक्त विवादित आराजी का हिस्सा-हिस्सा विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाया जावे।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 31.3.22 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:46:00 IST
Reason: SelfAttested

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
	(%)		

Scanned with CamScanner